

# **BSNV P G COLLEGE**

## **Department of Education**

### **Types of Universities**

**(B A Sem-2, Education II)**

**Manjul Trivedi**  
**Assistant Professor**

# विश्वविद्यालय के प्रकार

- केंद्रीय विश्वविद्यालय
- राज्य विश्वविद्यालय
- निजी विश्वविद्यालय
- मानित विश्वविद्यालय

# केंद्रीय विश्वविद्यालय

- ▶ केंद्रीय विश्वविद्यालयों से आशय उन विश्वविद्यालयों से है जिनकी स्थापना भारत की संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। यह विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) इन विश्वविद्यालयों को अकादमिक परामर्श उपलब्ध कराता है। भारत के राष्ट्रपति इन विश्वविद्यालयों के विजिटर के दायित्व का निर्वहन करते हैं। इन विश्वविद्यालयों में होने वाली कुलपतियों एवं प्राध्यापकों की नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार निर्देश जारी कर सकती है। यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार के नियंत्रण से मुक्त होते हैं।

# राज्य विश्वविद्यालय

- ▶ राज्य विश्वविद्यालय वे विश्वविद्यालय होते हैं जिनकी स्थापना राज्य की विधान सभा में पारित संकल्प के अनुरूप की जाती है। यह विश्वविद्यालय अपने मुख्य केंद्र के साथ-साथ सम्बद्ध महाविद्यालयों के माध्यम से शिक्षण कार्य को संचालित करते हैं। राज्य सरकार इन विश्वविद्यालयों के सम्बंध में नियम-निर्देश जारी करती है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12 (बी)की सूची में सम्मिलित होते हैं। राज्य के राज्यपाल सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित अद्यतन सूचना के अनुसार देश में राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या 409 है।

# निजी विश्वविद्यालय

- ▶ निजी विश्वविद्यालय वे विश्वविद्यालय होते हैं जिनकी स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अनुरूप होती है। यह राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित नहीं होते हैं। यह विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं तथा इनकी डिग्री का महत्व भी सामान्य विश्वविद्यालयों की तरह ही है। यूजीसी समय-समय पर ऐसे संस्थानों की सूची जारी करती है जो कि उसके द्वारा संस्तुत हैं। इन विश्वविद्यालयों का वित्तीय प्रबंधन पूर्णतया निजी क्षेत्र द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में निजी विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 349 है।

# मानित विश्वविद्यालय

- इन विश्वविद्यालयों को मान्यता यजीसी के परामर्श पर सरकार द्वारा दी जाती है। यह विश्वविद्यालय सामान्य रूप से विश्वविद्यालयों से पृथक कार्यप्रणाली वाले केंद्र होते हैं। जिन संस्थानों को मानित विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है, वे विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तरों और विशेषाधिकारों का उपयोग करते हैं। ये विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रम, प्रवेश नीति, शुल्क आदि का निर्धारण स्वयं करते हैं। इन विश्वविद्यालयों की डिग्रियां अभिभावक विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती हैं। कुछ ऐसे मानित विश्वविद्यालय भी हैं जो स्वयं भी प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। अद्यतन सूचनानुसार देश में 147 मानित विश्वविद्यालय संचालित हैं।